[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.
अनवान :– सिविल प्रकरण संख्या 185/2024

1. रावेराम पुत्र श्री [illegible] राम
2. सुनीता पत्नी श्री विक्रम
3. विक्रम पुत्र श्री रावेराम
4. सरोज पत्नी श्री विकास
5. विकास पुत्र श्री रावेराम

जातियान जाट साकिन 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

== प्रार्थी

–: बनाम :–

1. अंगद कुमार पुत्र
2. सुशीला देवी पत्नी

श्री मनु उर्फ अभिमन्यु जाति जाट साकिन 18 जी जी तह. व जिला श्रीगंगानगर

3. कमलेश पत्नी श्री किशन कुमार जाती जाट निवासी 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

== अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: उपस्थित अभिभाषक :–

1. श्री काशीराम रणवा == प्रार्थीगण
2. श्रीमती सुषमा पूनिया == अप्रार्थी 1 ता 3
3. पैरोकार राज == अप्रार्थी 4

–: आदेश :–

दिनांक :– 03.04.2025

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि आवेदक सं. 1 रावेराम वाके चक 18 जी. जी. के खाता संख्या 72/62 के मुरब्बा नं. 37 के किला नं. 1 ता 10 प्रत्येक साबत कुल 2.530 हैक्टेयर भूमि का खातेदार हैं। आवेदक सं. 2 सुनीता इसी चक के खाता संख्या 138/88 के मुरब्बा [illegible] कुल 0.886 हैक्टेयर भूमि की खातेदार हैं। आवेदक सं. 3 विक्रम इसी चक के इसी मुरब्बा के किला नं. 14/2 की 0.126 है0, किला नं. 15 ता 18, 23 ता 25 की 1.897 हैक्टेयर भूमि का खातेदार हैं। आवेदक सं. 4 सरोज इसी चक के खाता संख्या 138/137 के मुरब्बा नं. 37 के किला नं. [illegible] 0.886 है0 की खातेदार हैं। अनावेदक सं. 5 इसी चक के मुरब्बा नं. 37 के किला नं. [illegible] के किला नं. 11 ता 13 प्रत्येक साबत, किला नं. 14/1 में 0.127 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 16, 17, 21 ता 25 की 1.897 है0 भूमि का खातेदार हैं। आवेदकगण के [illegible] संलग्न प्रार्थना पत्र हैं। आवेदकगण के मुरब्बा नं. 37 के पश्चिम दिशा में मुरब्बा नं. 38 स्थित है [illegible] 35 के और मुरब्बा नं. 38 के उत्तर दिशा में मुरब्बा नं. 35 स्थित हैं। मुरब्बा [illegible] स्थित हैं, मुरब्बा नं. 23 के किला नं. 21 ता 25 में 2-2 [illegible] रास्ता स्वीकृत हैं। मुरब्बा नं. [illegible] स्वीकृत रास्ता से आवेदकगण मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 व मुरब्बा नं. [illegible] काश्त करते हैं। मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 1 ता [illegible] किला नं. 5, 6, 15 में आवागमन कर अपनी भूमि काश्त करते हैं। मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 15, 16 [illegible] 15, 17 ता 21 अनावेदक संख्या 1 के नाम से व मुरब्बा नं. 35 के किला नं. [illegible]

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 2 ता 9 की भूमि अनावेदक संख्या 2 के नाम से व मुरब्बा नम्बर 38 का किला नम्बर 15 अनावेदक संख्या 3 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। अनावेदक संख्या 1, 2 व 3 के नाम की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र हैं। मुरब्बा नं. 35 के किला नं 1, 10, 11, 20, 21 व 22 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 2 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत हैं परन्तु मुरब्बा नं. 35 व 38 के उक्त किला में स्वीकृत रास्ता चालू नहीं हैं। मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 5, 6, 15 में 2–2 बिस्वा रास्ता चालू हैं। मुरब्बा नं. 35 के किला नं 1, 10, 11, 20, 21 व 22 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 2 में दर्ज रास्ता से मुरब्बा नं. 38 व 37 के समस्त काश्तकार अपनी भूमि की काश्त नहीं कर सकते हैं और आवेदकगण व मुरब्बा नं. 38 के शेष काश्तकार इस चालू रास्ता से आवागमन कर भूमि की काश्त करते हैं और यही रास्ता स्वीकृत करवाने के हकदार हैं। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के लिए उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में अनावेदक संख्या 1 व 2 के मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21, 22 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 2 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कुल 8 बीघा में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकार हैं जो चालू नहीं हैं और मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 5, 6, 15 में कुल 8 बीघा में रास्ता चालू हैं और इससे मुरब्बा नं. 38 व 37 के कुल काश्तकारान अपनी–अपनी भूमि के लिए रास्ता की सुविधा उपलब्ध हो रही हैं। ऐसी सूरत में मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21, 22 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 2 में स्वीकृत रास्ता के स्थान पर मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 5, 6, 15 में रास्ता स्वीकृत किया जाना इंसाफन आवश्यक व उचित हैं। मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 5, 6 अनावेदक संख्या 1 व 2 के हैं। मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 15 अनावेदक संख्या 3 का हैं । अनावेदक संख्या 1 ता 3 रास्ता स्वीकृत करवाने में सहमत हैं। अनावेदक के मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 व 22 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 2 में पूर्व में जो स्वीकृत रास्ता हैं, उसके बदले में प्रार्थीगण के लिए अप्रार्थी के मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 5, 6, 15 में रास्ता स्वीकार होना हैं इससे अनावेदक की भूमि के इसी मुरब्बा के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 व 22 में पूर्व रास्ता निरस्त होने से इस रास्ता की भूमि इन्हें नये रास्ते की भूमि के बदले मिल जावेगी, इससे अनावेदक को कोई क्षति नहीं हैं मुआवजा दिलाने की आवश्यकता नहीं हैं। सभी पक्षकारान की सहमति हैं। नया रास्ता स्वीकार होने पर पुराने रास्ते की आवश्यकता नही रहेगी और उसे निरस्त होना है। आवेदकगण ने तहसीलदार हल्का से मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 व 22 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 2 में स्वीकृत रास्ता के स्थान पर मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 5, 6, 15 में रास्ता स्वीकार करने का कई बार कहा परन्तु तहसीलदार हल्का ने माननीय न्यायालय का आदेश होने पर ही नया रास्ता स्वीकार हो सकता हैं का कह दिया। इस पर यह आवेदन पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं, यही वाद कारण हैं । कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित हैं। आवेदन पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार का हैं जो अन्दर अवधि उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत हैं। अतः आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 – ए आर. टी. ए. मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21, 22 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 2 के स्थान पर मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 5, 6, 15 में रास्ता स्वीकार किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 5, 6, 15 में रास्ता स्वीकार किया जाता हैं तो पक्षकारान को काश्त में सुविधा होगी और पूर्व में मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 मिन अप्रार्थीगण की भूमि में से ही रास्ता हैं अब रास्ता मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 व मुरब्बा नं. 38 के मुरब्बा नं. 5, 6, 15 में से दर्ज होने से मिन अप्रार्थीगण उक्त रास्ता का मुआवजा नहीं लेना चाहते हैं और उक्त रास्ता स्वीकार होने से मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21, 22 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 2 में

...खण्ड अधिकारी (राजस्व)
...गानगर

स्वीकृत रास्ता की कोई आवश्यकता नहीं हैं, आवेदन पत्र आवेदकगण स्वीकार किया जाता हैं तो मिन अप्रार्थीगण को कोई आपति नहीं होगी। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर. टी. ए. प्रस्तुत कर नं. 35 निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मुरब्बा के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 5, 6, 15 में रास्ता स्वीकार कर मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21, 22 व मुरब्बा भूमि खातेदारान के खाता में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे क्योंकि नं. 38 के किला नं. 2 में स्वीकृत रास्ता निरस्त किया जाकर उक्त रास्ता के बदले में इन्ही खातेदारान की भूमि में से रास्ता स्वीकार किया जाकर रकबा राज किया जा रहा है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण की मुख्य बहस प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. यह रही कि मुरब्बा नं. 35 के किला नं 1, 10, 11, 20, 21 व 22 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 2 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत हैं परन्तु मुरब्बा नं. 35 व 38 के उक्त किला में स्वीकृत रास्ता चालू नहीं हैं। मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 5, 6, 15 में 2–2 बिस्वा रास्ता चालू हैं। मुरब्बा नं. 35 के किला नं 1, 10, 11, 20, 21 व 22 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 2 में दर्ज रास्ता से मुरब्बा नं. 38 व 37 के समस्त काश्तकार अपनी भूमि की काश्त नहीं कर सकते हैं और आवेदकगण व मुरब्बा नं. 38 के शेष काश्तकार इस चालू रास्ता से आवागमन कर भूमि की काश्त करते हैं और यही रास्ता स्वीकृत करवाने के हकदार हैं। ऐसी सूरत में मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21, 22 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 2 में स्वीकृत रास्ता के स्थान पर मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 5, 6, 15 में रास्ता स्वीकृत किया जाना इंसाफन आवश्यक व उचित हैं। प्रार्थीगण के लिए अप्रार्थी के मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 5, 6, 15 में रास्ता स्वीकार होना हैं इससे अनावेदक की भूमि के इसी मुरब्बा के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 व 22 में पूर्व रास्ता निरस्त होने से इस रास्ता की भूमि इन्हें नये रास्ते की भूमि के बदले मिल जावेगी, इससे अनावेदक को कोई क्षति नहीं हैं मुआवजा दिलाने की आवश्यकता नहीं हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए आर.टी.ए. स्वीकार किये जाने बाबत सहमति जाहिर की गई।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुताबिक आपसी सहमति आंशिक स्वीकार किया जाता है :–

अनुतोष :– 1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 18 जी जी के मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 5, 6, 15 में 2–2 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति होने से किसी प्रकार के मुआवजा की मांग नहीं की गई है अतः स्वीकृत किये गये रास्ता का मुआजा देय नहीं है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर नियमानुसार रास्ता का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

अनुतोष :– 2. चूंकि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में एक अन्य अनुतोष पूर्व में चल रहे एक अन्य स्वीकृतशुदा रास्ता मुरब्बा नं. 35 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21, 22 व मुरब्बा नं. 38 के किला नं. 2 को निरस्त कर उक्त रास्ता की गैरमुमकिन भूमि को खातेदारी दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। यद्यपि उक्त रास्ता पूर्व में इन्ही खातेदारों/इनके पूर्ववर्ती खातेदारों द्वारा 30 वर्ष से अधिक समय पूर्व करवाया गया था परन्तु एक बार रास्ता दर्ज होने के पश्चात् खातेदारो के अधिकार समाप्त होकर उक्त भूमि गैरमुमकिन दर्ज हो चुकी है। जिस पर खातेदारी अधिकार दिया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक प्रतिबंधित है। उक्त रास्ता सार्वजनिक है एवं रास्ते के समस्त चिपते खातेदारों की सहमति भी नहीं है।

Scanned with CamScanner

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गैरमुमकिन रास्ता को निरस्त कर उक्त भूमि को खातेदारी दर्ज किये जाने का अनुतोष राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण यह अनुतोष खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 03.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राज.)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner